अध्याय 6

योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन/एप्स व पोर्टल/नीतियाँ/वर्षगांठ

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- वर्तमान में विकास कार्यों, संस्कृति, विदेशी कार्यों नगद रहित कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए कौन–कौन से कार्यकम, योजनाएँ एवं मिशन तैयार किए गए है ?
- कौन–कौन सी विभिन्न नवीन राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की गई है। इनके कौन–कौन से उद्देश्य, स्वीकृति की अवधि एवं महत्त्वपूर्ण तथ्य हैं।
- इस समय व्यवहार में आ रही एप्स व पोर्टल, नीतियों, वर्ष गाँठ आदि के बार में महत्त्वपूर्ण जानकारी।

महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन (Important Planning, Program and Mission of Center Government)

तालिका 6.1: महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
1.	भारत क्यू आर कोड	21 फरवरी–2017	नगद रहित कारोबार हेतु	• विकास एनपीसीआई, मास्टर कार्ड एवं वीजा द्वारा। • विश्व का प्रथम इंटरॉपरेबल पेमेण्ट एक्सप्टेंस साल्यूशन है। • एक ही प्लेटफार्म पर भुगतान की सुविधा। • टास्क पर सूचनाओं को संजोए रखता है।
2.	राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन	30 जून–2017	केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा	• विश्व बैंक के सहयोग से प्रारम्भ फ्लैग शिप कार्यक्रम। • स्वदेशी विनिर्माण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले आवश्यक परितंत्र के निर्माण में सहायक। • जीवन रक्षक दवा के उत्पादन, अनुसंधान को बढ़ावा। • वैश्विक फार्माक्यूटिकल बाजार में भारत का महज 2.8 प्रतिशत योगदान है इस नयी योजना से 5 प्रतिशत होने का अनुमान।
3.	भारत का सांस्कृतिक मानचित्रण: राष्ट्रीय मिशन	17 जून–2017	केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा	• पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मभूमि मथुरा से प्रारम्भ। • सांस्कृति प्रतिभा को पोषित करना। सांस्कृतिक विरासत व इसका संरक्षण करना।

(Continued)

तालिका 6.1: महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन (Continued)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
				• ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा खोज प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जायेगा। • कलाकारों एवं लेखकों को विभिन्न आयोजनों में शामिल होने पर **ए, बी, सी**, श्रेणी प्रदान की जाएगी।
4.	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	8 फरवरी–2017	ग्रामीण डिजिटल साक्षरता हेतु	• 6 करोड़ लोगों को 2017 तक डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य। • मार्च–2019 तक ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षरता में प्रवेश कराने हेतु 2351 करोड़ रूपये के व्यय की घोषणा। • यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। • एनएसएसओ के अनुसार मात्रा 6 प्रतिशत ग्रामीणों के पास कम्प्यूटर है।
5.	राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन (एनएमएसएच)	2017	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना	• वनों में ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। • शहरी आयोजन। • पुनः चक्रण और विद्युत उत्पादन सहित ठोस और तरल समुन्नत प्रबंधन। • सार्वजनिक परिवहन के मॉडल विकसित करना। • भवनों की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयास करना। • चरम मौसमी घटनाओं के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणालियों का सुधार करना।
6.	विद्या अंजली योजना	जून–2016	विद्यालय में स्वैच्छिक कार्यक्रम हेतु	• सर्व शिक्षा अभियान के तहत। • इसके तहत अप्रवासी भारतीय, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवा निवृत सरकारी अधिकारी इत्यादि स्कूलों में स्वैच्छिक योगदान दे सकते हैं।
7.	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	1 अप्रैल–2017	सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय द्वारा	• उम्र संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे बीपीएल बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। • इसमें प्रत्येक जिले में 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी।
8.	साथ कार्यक्रम (Sustainable Action For Transforming Human Capital-SATH)	10 जून–2017	नीति आयोग द्वारा प्रारंभ मानव पूंजी के रूपांतरण हेतु	• शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प तकनीकी सहायता से करना है। • इसमें राज्य तीन भावी रोल मॉडल का चयन करेंगे। • इसमें राज्यों के चयन का आधार प्रसूति मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, मलेरिया के मामले आदि है।
9.	वात्सल्य मातृ अमृत कोष मानव दुग्ध बैंक	7 जून–2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा	• दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। • यह एक राष्ट्रीय मानव (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्ध-पान परामर्श केन्द्र है। • इसकी स्थापना नार्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय और नीपी नार्वे इंडिया पार्टनर इनीशियेटिव के सहयोग से हुई है।

(Continued)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
10.	प्रवासी कौशल विकास योजना	9 जनवरी, 2017	यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के लिए विदेश मंत्रालय व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी।	• प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14वें प्रवासी भारतीय दिवस (बंगलूरू, कर्नाटक) में इस योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
11.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	1 सितम्बर, 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश जारी किये ***नोट***—विकास मंत्री मेनका गाँधी ने योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश जारी किये ***नोट***—प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी, 2018 से इस योजना के संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन की घोषणा की थी।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा	• 1 जनवरी, 2018 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5000 रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे उनक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
12.	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना	21 जुलाई, 2017 को वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा औपचारिक शुभारंभ	—	• 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। यह योजना 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत रिटर्न सुनिश्चित करता है।
13.	नाविक सागर परिक्रमा कार्यक्रम	10 सितम्बर, 2017	रक्षा मंत्रालय	• भारतीय नौसेना द्वारा देश में महिला सशक्तीकरण और महासागर नौकायन को बढ़ावा देना है। • विश्व मंच पर नारी शक्ति का प्रदर्शन करना है। • नौकायान के द्वारा पर्यावरण अनुकूल गैर-परम्परागत नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। • स्वदेश निर्मित आईएनएस तारिणी पर नौकायन करके 'मेक इन इंडिया' की सफलता को दर्शाना है। • समुद्र में प्रदूषण की निगरानी कर रिपोर्ट तैयार करना। • महासागर नौकायन को बढ़ावा देने के लिए चालक दल विभिन्न बंदरगाह पड़ावों पर भारतीय मूल के स्थानीय व्यक्तियों से वार्ता करेंगे।

(Continued)

तालिका 6.1: महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन *(Continued)*

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
14.	'एक धरोहर गोद लो' योजना	27 सितम्बर 2017	संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ	• निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों और कार्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक स्थलों को गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के माध्यम से स्मारकों और पर्यटन स्थलों के स्थायी बनाने का दायित्व देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। • आतिथ्य यात्रा व बैंकिंग क्षेत्र की 7 कम्पनियों को '**स्मारक मित्र**' के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा **चयनित** किया गया है। इन 7 **कम्पनियों** को 25 अक्टूबर 2017 को केन्द्र सरकार के पर्यटन पर्व के अन्तिम दिन आशय पत्र (Letters of Intent) प्रदान किये गये। **चयनित 7 कम्पनियां (गोद दिये गये पर्यटन स्थल)** **1. एसबीआई फाउंडेशन (SBI Foundation)** (i) जतंर-मंतर (दिल्ली) **2. टीके इंटरनेशनल लिमिटेड (TK International Limited)** (i) कोणार्क का सूर्य मंदिर (उड़ीसा), (ii) राजा रानी मन्दिर (भुवनेश्वर), (iii) रत्नागिरी स्मारक (जयपुर), (iv) रत्नागिरी स्मारक (उड़ीसा) **3. यात्रा ऑनलाईन प्राइवेट लिमिटेड (Yatra Online Pvt. Limited)** (i) हम्पी (कर्नाटक), (ii) लेह-पैलेस (जम्मू-कश्मीर) (iii) कुतुबमीनार (दिल्ली), (iv) अजंता गुफा (महाराष्ट्र) **4. ट्रैवल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. (Travel Corporation of India Ltd.)** (i) मत्तानचेरी पैलेस संग्राहलय (कोच्चि), (ii) सफदरजंग मकबरा (दिल्ली), **5. एडवेंचर टूर आपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Adventure Tour Operator Association of India)** (i) गंगोत्री मंदिर क्षेत्र व गोमुख तक के मार्ग (उत्तराखण्ड) (ii) माउण्ट स्टोक कांगरी (लद्दाख, जम्मू कश्मीर) **6. स्पेशल हॉलीडे ट्रैवल प्राइवेट लिमि. एवं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली(Special Holiday Travel Pvt. Ltd. (with) Rotary Club of Delhi.)** (i) अग्रेसन की बावड़ी (दिल्ली)

(Continued)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
				7. एनबीसीसी (NBCC) (National Buildings Construction Corporation Limited) (i) दिल्ली का पुराना किला। ***नोट***—इस योजना के जरिये देशभर के स्मारकों, धरोहरों और पर्यटन स्थलों को विकसित कर इन्हें पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन सम्भावना तथा सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा दिया जायेगा।
15.	रो-रो फेरी सर्विस (रोल आन-रोल ऑफ)	22 अक्टूबर, 2017 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात से	–	• सागरमाला परियोजना (14 अप्रैल, 2016 में प्रारम्भ) जिसके अन्तर्गत बंदरगाहों का विकास तथा बंदरगाहों तक सामान त्वरित, कम लागत व कुशलतापूर्वक पहुंचने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना था, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 'रो-रो फेरी सर्विस' प्रारम्भ की गयी है। • रो-रो सेवा के माध्यम से बड़े ट्रकों को सीधे एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक पहुंचाने के लिये जहाजों का प्रयोग किया जायेगा, जो पहले सड़क मार्ग से पहुंचाये जाते थे। अर्थात् रो-रो फेरी सर्विस का संचालन घोघा बन्दरगाह से दहेज बन्दरगाह तक होगा। इन बंदरगाहों का विकास सागरमाला परियोजना के तहत किया गया है। • सड़क मार्ग से जो दूरी 360 किमी थी उसे बंदरगाह विकसित कर जलमार्ग द्वारा मात्र 31 किमी दूरी तय करनी पड़ेगी। • समय व परिवहन लागत दोनों में कमी आएगी। • ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा क्योंकि सामान से लदे ये ट्रक सड़क मार्ग के स्थान पर जलमार्ग से अपने गंतव्य स्थान पहुंचेगे। • सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी • परिवहन लागत में कमी वस्तु के मूल्य को कम करने में सहायक होगी, जो मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी। • परिवहन लागत में कमी उत्पादक वर्ग के लाभ को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। • इस सेवा के शुरू होने से तटीय शिपिंग और तटीय पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरूआत होगी। • ट्रकों के संचालन में कमी आने से वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित करने में सहयोग मिलेगा। • कम समय अवधि में वस्तुओं के अपने गंतव्य स्थल में पहुंचने से खाद्य सामग्री के अपव्यय में कमी आयेगी। ***नोट***—घोघा बन्दरगाह भावनगर जिले में स्थित है, जबकि दहेज बंदरगाह भरूच जिले में स्थित है।

(Continued)

तालिका 6.1: महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन *(Continued)*

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
16.	सघन मिशन इन्द्रधनुष योजना	8 अक्टूबर, 2017	प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात से प्रारम्भ	• 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण अभियान से जोड़ना है ताकि माता व शिशु के स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सके। यह योजना मुख्य रूप से उनके लिये है जो सरकार के परम्परागत टीकाकरण अभियान से जुड़ नहीं सके। • इस अभियान के तहत देश के 16 राज्यों के 121 जिलों तथा 17 शहरों के साथ 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों में प्रत्येक माह में 7 दिन (7 से 14 तारीख) के लिए चलाया जायेगा। • इस अभियान में वर्ष 2020 तक कम से कम 90% शिशुओं तथा माताओं को टीकरण प्रतिरक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। • यह अभियान 4 चरणों अर्थात (i) अक्टूबर, 2017, (ii) नवम्बर, 2017, (iii) दिसम्बर, 2017, (iv) जनवरी, 2018 में सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें 2.53 करोड़ बच्चों तथा 68 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीका प्रतिरक्षण प्रदान किया जाना है।
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2016 में मंजूरी दी।	–	• मार्च, 2017 में विश्व बैंक ने भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 175 मीलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। यह ऋण 23 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए है। • यह परियोजना देश में बाढ़ की भविष्यवाणी और आवर्ती बाढ़ एवं सूखे की कमजोरी को कम करने की क्षमता में सुधार के लिए है। • इस परियोजना के तहत गंगा और ब्रह्मपुत्र-बराक घाटियों के साथ-साथ पूरे देश को कवर करके जल विज्ञान परियोजना-। और जल विज्ञान परियोजना-।। को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना।

(Continued)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
18.	स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत	22 अगस्त–2017	केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने किया।	• इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक छात्रों के स्वास्थ्य और तन्दुरूस्ती कार्ड बनाया जाना निर्धारित किया गया है।
19.	मेंटर इंडिया अभियान योजना	23 अगस्त–2017	नीति आयोग द्वारा प्रारंभ	• अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में देशभर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिकरिंग लैबों में छात्रों के मार्गदर्शन के काम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल करके यह राष्ट्र निर्माण की रणनीतिक पहल है। • मेंटर इंडिया अभियान का लक्ष्य अटल टिंकरिंग लैब के प्रभाव को अधिकतम बनाना है। • यह सम्भवत: विश्वभर में औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रसार के अभियान की पहल है।
20.	शादी–शगुन योजना	अगस्त–2017	केन्द्रीय अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन के तहत शुरू की गयी है।	• मुस्लिम लड़कियों एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 51,000 रूपये की राशि बतौर शादी–शगुन देने का फैसला किया है। • योजना का मकसद मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना है। • 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं को 10 हजार रूपये वज़ीफा दिया जायेगा। • इस राशि की हकदार वही लड़कियां होगी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की होगी। • इस योजना के अन्तर्गत मुस्लिम के अतिरिक्त सिख, ईसाई, पारसी और जैन धर्म से सम्बन्धित व्यक्ति भी लाभ प्राप्त कर सकते है।

(Continued)

तालिका 6.1: महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन *(Continued)*

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
21.	सम्पूण बीमा ग्राम योजना	13 अक्टूबर-2017	–	• ग्रामीण क्षेत्रा में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना का शुभारंभ किया। • योजना का प्राथमिक उद्देश्य सम्पूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिह्नित गांव के समस्त आवास को कवर करना है। • योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव (न्यूनतम 100 आवास के लिए) को चिह्नित किया जाएगा। • प्रत्येक पॉलिसी से कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा के साथ चिह्नित गांव के सभी घरों को कवर करने का प्रयास किया जायेगा। • सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी गांव इसकी सीमा में लाये जाएंगे।
22.	सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)	25 सितम्बर-2017	–	• 16,320 करोड़ रूपये की इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को नि:शुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रूपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। इसका लक्ष्य दिसम्बर 2018 के अन्त तक देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाना है।
23.	स्वजल कार्यक्रम	20 फरवरी-2018	–	• केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के उत्तर काशी जिले से स्वजल नामक राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। ***नोट***—यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड सहित 6 राज्यों में लागू होगा, परन्तु पायलट आधार पर चुना जाने वाला पहला राज्य उत्तराखण्ड है।
24.	दर्पण योजना (डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया)	21 दिसम्बर-2017	–	• **शुभारंभ**—केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा। • **उद्देश्य**—ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों में कोर बैंकिंग सोल्यूशंस सुविधा उपलब्ध कराना।

(Continued)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
25.	दीनदयाल स्पर्श योजना (स्कालरशिप फॉर प्रोमोशन ऑफ एप्टीच्यूड एड अनुसंधान इन स्टाम्प एज ए हॉबी)	03 नवम्बर-2017	–	• केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने टिकटों के संग्रहण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कक्षा-6 से 9 तक के छात्र को प्रतिमाह 500 रूपये छात्रवृत्ति की एक विशेष योजना दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की।
26.	समेकित सिल्क उद्योग विकास योजना	21 मार्च-2018 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति द्वारा मंजूरी दी गयी।	–	• **लागू**—वस्त्र मंत्रालय के केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा। • **समयावधि**—3 वर्ष (2017-18 से 2019-20 तक) • **उद्देश्य**—2022 तक भारत को रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और कच्चे रेशम का आयात शून्य करना।
27.	कृषि मशीनरी प्रोत्साहन योजना	7 मार्च 2018 का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी।	–	• पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसलों के अवशेषों के प्रबंधन हेतु प्रारम्भ की गयी है। • केन्द्रीय स्तर पर यह योजना कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित होगी जबकि राज्य स्तर पर पंजाब, हरियाणा, उ.प्र. तथा एनसीआर के राज्य कृषि विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेन्सी होंगी। • इस योजना के उद्देश्य उक्त राज्यों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना है। • इस योजना का कुल व्यय 1151.80 करोड़ रूपये (2018-19 में 591.65 करोड़ रूपये व 2019-20 में 560.15 करोड़ रूपये) है।
28.	राष्ट्रीय पोषण मिशन	8 मार्च 2018 को झुंझुनू जिला राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारम्भ	–	• राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य अल्प पोषित एवं जन्म के समय कम भार वाले बच्चों की संख्या को घटनाने के साथ-साथ छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरवय लड़कियों में एनीमिया को कम करना है। ***नोट***—अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ ही बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना को विस्तार दिया अर्थात् 161 जिलों में संचालित इस योजना को 640 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा।

(Continued)

तालिका 6.1: महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन *(Continued)*

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
29.	ग्राम स्वराज अभियान	14 अप्रैल 2018 से 5 मई 2018 तक	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ	• इस अभियान की शुरूआत अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2018 से की गयी है। • इस अभियान का उद्देश्य 21058 ग्रामों में 7 जन कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प पूरा करना है। • इस अभियान में शामिल 7 योजनाएं है- 1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना। 2. सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)। 3. उजाला योजना। 4. मिशन इंद्रधनुष। 5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 7. प्रधानमंत्री जन धन योजना। • इस अभियान का नारा है- **ग्राम समृद्धि संकल्प, हर जन हो खुशहाल।**
30.	पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम	21 फरवरी 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापना की स्वीकृति	–	**उद्देश्य**—पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों की पहचान करना तथा तीव्र एवं सतत् विकास के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास स्थिति का भी जायजा लेगा। **महत्वपूर्ण तथ्य:** • इस फोरम के सह-अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होंगे। • फोरम का सचिवालय ''पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय'' में होगा। • पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित 7 पूर्वोत्तर राज्य) के मुख्य सचिव फोरम के सदस्य होंगे। • विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी सदस्यता दी जाएगी।

(Continued)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
31.	नई बेनामी लेन-देन सूचनार्थी पुरस्कार योजना	4 जून, 2018		उद्देश्य—बेनामी लेन-देन तथा सम्पत्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा इस योजना का प्रारम्भ किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य: • कर चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति को आकर्षक इनाम देने की तैयारी इस योजना में की गयी है।
32.	सेवा भोज योजना	3 जून, 2018	–	महत्वपूर्ण तथ्य: • केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 के लिए इस योजना के तहत 325 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है। • इस योजना के तहत परोपकारी धर्मिक संस्थानों की विशेष भोज्य सामग्री पर दरों से छूट दी जायेगी। • यह छूट प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों का पंजीकरण सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। • सभी पात्र संस्थानों का 'दर्पण पोर्टल' में पंजीकरण आवश्यक है। सभी आवेदनों की जाँच के लिए मंत्रालय द्वारा समिति का गठन किया जाएगा।
33.	समग्र शिक्षा योजना	24 मई, 2018	–	महत्वपूर्ण तथ्य: • केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा प्रारम्भ 'स्कूल' नामक इस योजना में 'स्कूल' को स्कूल पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों तक एक समेकित योजना लॉन्च की गई है। इस योजना में टीचर्स और टेक्नोलॉजी के एकीकरण पर बल दिया जाएगा। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी तथा डिजिटल और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

बजट 2018-19 में घोषित प्रमुख नई योजनाएं (Important Declared Plans of Budget–2018–19)

1.	ऑपरेशन ग्रीन	• केन्द्र सरकार ने फल-सब्जियाँ उगाने वाले किसानों के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' की शुरूआत करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेंगे। • इस कार्य के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। • 'ऑपरेशन ग्रीन' किसान उत्पादन संगठनों, कृषि सम्भारतन्त्र, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहन देगा। • ऑपरेशन फ्लड (दुग्ध उत्पादन से संबंधित) की तरह इस योजना से फल सब्जी उत्पादकों को लाभ होगा।
2.	ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित करना	• 86 प्रतिशत से ज्यादा लघु और सीमान्त किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाट ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत किए जाएंगे। • 22 हजार ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMCS) के उन्यन हेतु 2 हजार करोड़ रूपये की स्थायी निधि के साथ एक **कृषि बाजार अवसंरचना कोष** की स्थापना की घोषणा की गयी है।
3.	टॉप (T.O.P) योजना	• यह योजना वर्तमान में मुख्य रूप से तीन कृषि उत्पादों **टमाटर, प्याज एवं आलू** के लिए है।
4.	मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा कोष की स्थापना	• यह योजना वर्तमान में मुख्य रूप से तीन कृषि उत्पादों टमाटर, प्याज एवं आलू के लिए है। • इन दोनों कोषों की स्थापना के लिए बजट 2018-19 में 10 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गये है।
5.	राइज़ (Revitalising Infrastructure and Systems in Education)	• आगामी 4 वर्षों (वर्ष 2022 तक) में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने हेतु 1 लाख करोड़ रूपये के साथ राइज़ नामक पहल की घोषणा की गयी। इस पहल का वित्तीयन उच्तर शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी (HETA) द्वारा किया जायेगा।
6.	पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन	• बांस को हरित सोने की संज्ञा दी गयी है। इस मिशन के तहत बांस को वन के स्थान पर घास का दर्जा दिया जायेगा ताकि किसानों विशेषकर उत्तर पूर्वी किसानों की आय बढ़ायी जा सके। इस मिशन के लिए 1290 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।

7. आयुष्मान: भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना:

घोषणा — बजट 2018-19 में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा

मंजूरी — 21 मार्च, 2018 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा

महत्वपूर्ण तथ्य — इस योजना के अन्तर्गत 2 बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन किया गया है- **(i) स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र, (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना।**

(i) **स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र**—राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में **स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों** की परिकल्पना की गयी थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में 1.5 लाख ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को साधारण जन तक पहुंचाया जा सकेगा। ये स्वास्थ्य केन्द्र गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा उपलब्ध करायेंगे। इन केन्द्रों में इलाज के साथ-साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों यथा-हाई ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज और मानसिक तनाव पर नियंत्रण हेतु विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इन केन्द्रों पर आवश्यक औषधियाँ एवं नैदानिक सेवाएं मुफ्त उपलब्ध करायी जायेंगी तथा सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीय स्तर तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (AB-NHPM)—इसके अन्तर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ से अधिक परिवारों (लगभग-50 करोड़ व्यक्तियों) को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जायेगा।

नोट—यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का स्थान लेगी।

लाभार्थियों का चयन

- एबी-एनएचपीएन (AB-NHPM) के अंतर्गत वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना (SECC) डाटा पर आधारित, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रह रहे 10.74 करोड़ गरीब, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिह्नित व्यावसायिक श्रेणियों वाले नगरीय श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा।
- विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किन्तु बीमा कवर प्रति परिवार पाँच लाख रूपये तक ही सीमित रहेगा।

पात्रता हेतु शर्तें

- एबी-एनएचपीएन (AB-NHPM) पात्रता आधारित योजना होगी, जिसमें पात्रता हेतु निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार-(i) जो कच्ची दीवारों तथा कच्ची छत वाले एक कमरे के घरों में रहते हों, (ii) जिसमें 16-59 वर्ष आयु के मध्य का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, (iii) जिसमें 16-59 वर्ष आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य न हो तथा केवल महिलाएं हों, (iv) जिसमें सभी दिव्यांग सदस्य हों तथा कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य न हो, (1) जो अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित हों, (vi) जो भूमिहीन हो एवं मुख्यतः आकस्मिक रूप से शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आय अर्जित करते हों।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित विशेषताओं वाले परिवार स्वतः ही इस योजना हेतु पात्र मानेजायेंगे-(i) छत विहीन घरों में रहने वाले, (ii) निराश्रित, (iii) भिक्षा पर निर्वाह करने वाले, (iv) मैला ढोने वाले, (v) आदि जनजाति समूह, (vi) कानूनी रूप से मुक्त किये गये बंधुआ मजदूर आदि।
3. शहरी क्षेत्रों में 11 परिभाषित व्यावसायिक श्रेणियां इस योजना हेतु पात्र होंगी।

इलाज हेतु अस्पताल

- योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी एवं निजी अस्तपालों (पैनल में सूचीबद्ध) दोनों में से किसी में भी इलाज करवा सकते है।
- एबी-एनएचपीएन (AB-NHPM) को लागू करने वाले राज्यों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जायेगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से संबंद्ध अस्पतालों को भी बिस्तर अधिभोग (Bed Occupancy) अनुपात पैरामीटर के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है।
- निजी अस्तपाल परिभाषित मानदंडों के आधार पर ऑन लाईन सूचीबद्ध होंगे।

योजना हेतु धन का प्रबंधन

- नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, इस योजना पर वार्षिक लागत लगभग 12 हजार करोड़ रूपये आयेगी।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त सेस से प्राप्त होने वाली 11000 करोड़ रूपये की राशि को इस योजना में लगाया जायेगा।
- इस योजना में केन्द्र एवं राज्यों का योगदान अनुपात 60:40 होगा तथा तीन पहाड़ी राज्यों एवं पूर्वोत्तर के राज्यों हेतु योगदान अनुपात 90:10 का होगा।
- वर्ष 2018-19 के बजट में स्वास्थ्य एवं आयोग केन्द्र पहल हेतु 1200 करोड़ रूपये आबंटित किये गये है।

विशेषताएं

- यह विश्व में सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य संरक्षण योजना होगी।
- एबी-एनएचपीएन (AB-NHPM) के अंतर्गत लगभग सभी द्वितीयक स्तरीय एवं अधिकांश तृतीयक स्तरीय देख-भाल प्रक्रियाओं को समाहित किया जायेगा।
- लाभ कवर में अस्पताल में भर्ती के पूर्व एवं पश्चात् के सभी खर्चे शामिल होंगे।
- सभी पूर्व-उपस्थित शर्तों को पॉलिसी के पहले दिन से कवर किया जायेगा।
- लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती हेतु एक निश्चित परिवहन भत्ता भी दिया जायेगा।
- इस योजना के लाभ पूरे देश में स्थानांतरणीय है तथा लाभार्थी को पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक/निजी पैनल वाले अस्पताल से नकद रहित लाभ लेने की अनुमति होगी।
- इस आरोग्य केन्द्रों में आम आदमी को निरोगी रहने के लिए देशी चिकित्सा पद्धति अपनाने पर जोर दिया जायेगा।
- इन केन्द्रों में योग के प्रशिक्षण के साथ-साथ यूनानी, आयुर्वेद और सिद्ध से जुड़ी दवाएं भी उपलब्ध होगी।
- स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने इस योजना को **नमो केयर** अथवा **मोदी केयर** का नाम दिया है।

प्रमुख एप्स व पोर्टल (Important APPs and Portal)

आयकर सेतु मोबाइल एप

उद्देश्य कर सम्बन्धित मुद्दों के समाधान के साथ करदाताओं को सुविधा प्रदान करना।

प्रारम्भ केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा 10 जुलाई 2017 को जारी।

महत्व

- यह एप एण्ड्रॉयड ऐप्लिकेशन तथा डेस्कटॉप वर्जन के रूप में जारी किया गया है। इसके तहत आयकर विभाग करदाताओं को कर भुगतान की तिथि, फार्म तथा सूचनाएं व्यक्ति के पंजीकृत मोबाईल फोन नम्बर पर भेज सकेगा। साथ ही उपयोगकर्ता को आय कर विभाग से शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस एप की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उपयोगकर्ता को पैन कार्ड के साथ 12 अंकों के बायोमैट्रिक पहचान (आधार कार्ड) से जोड़ने की सुविधा है।

शी-बाक्स पोर्टल (SHE-Box)

7 नवम्बर 2017 को केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने सरकारी तथा निजी संगठनों, कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने के लिए शी-बॉक्स ऑनलाईन (She-Box online) शिकायत प्रबन्धन प्रणाली की शुरूआत की है।

महत्वपूर्ण तथ्य शी-बॉक्स की शुरूआत कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013) को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से की गई है।

सुखद यात्रा एप

जारी 07 मार्च 2018

जारीकर्ता केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह मोबाइल एप राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल करने वालों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) द्वारा तैयार की गई है।

उद्यम सखी पोर्टल

जारी	08 मार्च 2018 (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर)
जारीकर्ता	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए।
महत्वपूर्ण तथ्य	• पोर्टल के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बनाने का प्रयास किया गया है जिसके जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही महिलाओं को स्वालंबी और सशक्त बनाने के लिए कम लागत वाली सेवाओं और उत्पादों के लिए कारोबार के नये मॉडल तैयार किये जा सकें। • पोर्टल के जरिये महिला कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निवेशकों से सीधे संपर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध करायी जायेगी।

पेंसिल (PENCIL) वेब पोर्टल

जारी	26 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन के दौरान।
जारीकर्ता	केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह।
मंत्रालय	केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित होगा।
उद्देश्य	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को कारगर तरीके से लागू करने के उद्देश्य से प्लेटफार्म फॉर इफेक्टिव एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (PENCIL) नाम का वेब पोर्टल शुरू किया गया।

सागर वाणी एप व इंडिया क्वेक एप

जारी	27 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली से।
जारीकर्ता	केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पृथ्वी मंत्री हर्ष वर्धन द्वारा।
विकसित	यह दोनों 'इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसिज'(INCOIS) द्वारा विकसित किये गये हैं।
विशेषता	सागर वाणी एप समुद्र तट पर रहने वाले लोगों व मछुआरों को समुद्री घटनाओं की सूचना उपलब्ध कराएगा जबकि इंडिया क्वेक नामक मोबाइल एप भूकंप आने के बाद स्वचालित रूप से भूकंप के स्थान, समय और उसकी तीव्रता को चिन्हित कर उसका प्रसार करेगा।

शबरी पोषण मोबाइल एप

जारी	24 जनवरी, 2018 लखनऊ, उत्तर प्रदेश से।
जारीकर्ता	उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा।
महत्वपूर्ण तथ्य	इस एप्लिकेशन को मोबाइल में इंस्टाल करने के बाद गर्भवती महिलाओं तथा 0-2 वर्ष तक के बच्चों हेतु सही आहार, पोषण एवं स्वच्छता संबंधी निर्देश चित्र सहित आसान हिन्दी भाषा में उपलब्ध है, जो माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करेगा।

प्रमुख राष्ट्रीय नीतियाँ (Important National Polices)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (National Health Policy 2017)

स्वीकृति	15 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' को स्वीकृति दी गयी। *नोट*—यह नीति वर्ष 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का स्थान लेगी। इससे पूर्व वर्ष 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गयी थी।

उद्देश्य	सभी को किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना है।
राष्ट्रीय संबंद्ध व्यावसायिक परिषद	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी संबंद्ध पेशेवरों को विनियमित एवं सुव्यवस्थित करने तथा गुणवत्तायुक्त मानकों को सुनिश्चित करने हेतु 'राष्ट्रीय संबंद्ध व्यावसायिक परिषद' [National Allied Professional Council] के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
चिकित्सीय न्यायाधिकरण	इस नीति में चिकित्सा सेवा के स्तर, सेवाओं के मूल्य, उपेक्षा/लापरवाही तथा अनुचित कार्यप्रणाली संबंधी शिकायतों/विवादों के शीघ्र समाधान हेतु एक पृथक एवं सशक्त 'चिकित्सीय न्यायाधिकरण' [Medical Tribural] की स्थापना की सिफारिश की गयी है।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एक 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण' [National Digital Authority] का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसक माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को विनियमित, विकसित एवं तैनात करने का कार्य किया जायेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मात्रात्मक लक्ष्य	• जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 करना। • वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक लाना। • 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम कर वर्ष 2025 तक 23 तक लाना तथा मातृ मृत्यु दर को वर्तमान स्तर से घटाकर वर्ष 2020 तक 100 के स्तर पर लाना। • नवजात शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2019 तक घटाकर 28 करना। • मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना। • वर्ष 2020 तक HIV/AIDS के लिए 90: 90: 90 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थात वर्ष 2020 तक 90 प्रतिशत HIV संक्रमित लोगों को अपनी HIVU स्थिति के बारे में पता हो, HIV संक्रमित 90 प्रतिशत व्यक्तियों को स्थायी एंटी-रेट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त हो और एंटी-रेट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करने 90 प्रतिशत लोगों में विषाणु की रोकथाम सुनिश्चित हो। • वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में वर्ष 2017 तक हाथीपाँव का उन्मूलन करके स्थिति को बनाए रखना। • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में वर्तमान स्तर की तुलना में वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि करना। • वर्ष 2025 तक एक वर्ष तक के 90 प्रतिशत से अधिक नवजात शिशुओं का पूर्णत: प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना। • वर्ष 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित जल एवं स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना। • सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वर्तमान 1.15 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5 प्रतिशत करना। • राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को बढ़कार वर्ष 2020 तक उनके बजट को 8 प्रतिशत से अधिक करना। • वर्ष 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के मानदंडों के अनुरूप नर्सो एवं डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (National Steel Policy, 2017)

स्वीकृति	3 मई 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति।
विजन	एक ऐसे इस्पात उद्योग का निर्माण करना जो प्रौद्योगिकीय दृष्टि से विकसित हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

मिशन
- इस्पात निर्माताओं को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
- भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- इस्पात उद्योग के इनपुट (inputs) (लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस) की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना।
- विदेशों में कच्ची सामग्री की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश को सुविधाजनक बनाना।
- घरेलू इस्पात मांग बढ़ाना।

उद्देश्य
- वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना।
- भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को मौजूदा 60 किलोग्राम से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 160 किलोग्राम तक करना।
- भारत को वर्ष 2030-31 तक उच्च श्रेणी के आटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एलॉय के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना।
- नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास भी शामिल किया गया है जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके।

महत्वपूर्ण तथ्य
- इस नीति के अनुसार भारतीय इस्पात में वर्ष 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रूपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
- इस्पात नीति 2017 में बुनियादी ढांचा, वाहन एवं आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- इस्पात के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में मौजूद संभावनाओं को मान्यता दी गई है, साथ ही इस क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है।
- इस्पात मंत्रालय नीतिगत उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर लौह अयस्क, कोकिंग कोल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे इस्पात उद्योग का तीव्र विकास संभव होगा।
- नई राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 लागू होने से देश में स्टील के उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही स्टील की घरेलू मांग पूरी की जा सकेगी।

इस्पात का महत्व
इस्पात आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है और किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत में निर्माण, बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष एवं औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक इस्पात के उपयोग का दायरा काफी व्यापक है। इस्पात सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखता है। इतने महत्वपूर्ण उद्योग में क्षमताओं को पर्याप्त दोहन नहीं होने और नीतिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत में नई इस्पात नीति की आवश्यकता महसूस हुई और इसी आधार पर नई इस्पात नीति की घोषणा की गयी है।

भारत का इस्पात उद्योग में प्रदर्शन
- अंतरराष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम (ISSF) द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में भारत, जापान को पीछे छोड़कर विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। प्रथम स्थान पर चीन है।
- वर्ष 2016 में भारत का स्टील उत्पादन बढ़कर 3.32 मिलियन टन पहुँच गया।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इस्पात उद्योग का योगदान 2% है। 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- भारत में स्टील की प्रति व्यक्ति खपत 60 किलोग्राम है जो विश्व में औसत प्रति व्यक्ति स्टील खपत 208 किलोग्राम से काफी कम है।

नई मेट्रो रेल नीति, 2017 (New Metro Rail Policy, 2017)

स्वीकृति
16 अगस्त 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने नई मेट्रो रेल नीति को स्वीकृति प्रदान की।

उद्देश्य
इस नीति का उद्देश्य उत्तरदायी तरीके से देश के अनेक शहरों के लोगों की मेट्रो रेल की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- निजी निवेश तथा मेट्रो परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए नए तरीके अनिवार्य होंगे, ताकि पूँजी लागत वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन की बड़ी माँग पूरी की जा सके।
- केन्द्रीय वित्तीय सहायता की इच्छुक सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान के लिए या कुछ अलग-अलग घटकों के लिए (जैसे स्वचालित किराया संग्रह, सेवा संचालन, रखरखाव आदि) निजी भागीदारी आवश्यक है।
- राज्यों को मेट्रो स्टेशनों के दोनों ओर 5 किमी का सुविधा क्षेत्र छोड़ने का कार्य सुनिश्चित करना होगा ताकि फीडर सेवाओं, पैदल, साइकिल के रास्ते तथा परिवहन सुविधाओं से अंतिम छोर तक सम्पर्क किया जा सके।
- नई मेट्रो परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाले राज्यों के लिए परियोजना रिपोर्ट में यह बताना आवश्यक होगा कि ऐसी सेवाओं के लिए निवेश का प्रबन्ध कहाँ से किया जायेगा।
- वैकल्पिक विश्लेषण के तहत बीआरटीएस (बस रैपिड रेल का ट्रॉंजिट सिस्टम), लाइट रेल ट्रॉंजिट सिस्टम, ट्रैमवे, मेट्रो रेल तथा क्षेत्रीय रेल की माँग क्षमता, लागत और क्रियान्वयन का सहजता की दृष्टि से मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।
- 'शहरी महानगरीय परिवहन प्राधिकरण' का गठन अनिवार्य होगा। यह प्राधिकरण शहरों के लिए आवाजाही सम्बन्धी व्यापक योजना तैयार करेगा ताकि क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए पूरी तरह बहुमॉडल एकीकरण सुनिश्चित हो सके।
- मेट्रो परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए 14 प्रतिशत आर्थिक आंतरिक रिटर्न दर की व्यवस्था का प्रावधान है, जो वर्तमान में 8% है।
- ट्रॉंजिट प्रेरित विकास का प्रावधान है, ताकि मेट्रो गलियारों के साथ-साथ सटीक एवं घने शहरी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
- राज्यों को मेट्रो परियोजना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि मेट्रो स्टेशनों और उसकी अन्य शहरी भूमि पर वाणिज्यिक/सम्पत्ति के विकास के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे।
- राज्यों को मेट्रो परियोजना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि मेट्रो स्टेशनों और उसकी अन्य शहरी भूमि पर वाणिज्यिक/सम्पत्ति के विकास के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे।
- राज्यों को नियम-कानून बनाने का अधिकार होगा और वे किराये में समय से संशोधन के लिए स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण गठित कर सकेंगे।
- राज्य मेट्रो परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 3 वित्तपोषण विकल्पों में से किसी भी विकल्प के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इन तीनों ही वित्तपोषण विकल्पों में निजी भागीदारी अनिवार्य होगी। 3 वित्तपोषण विकल्प निम्नलिखित हैं-
  (i) वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना के तहत केन्द्रीय सहायता युक्त सार्वजनिक-निजी भागीदार मॉडल।
  (ii) केन्द्र सरकार से अनुदान, जिसके तहत परियोजना लागत का 10% एकमुश्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जायेगा।
  (iii) केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50-50 प्रतिशत आधार पर इक्विटी साझेदारी मॉडल।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन (Amendment in FDI Policy)

मंजूरी

10 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एफडीआई (FDI) के मानदण्डों में कई संशोधनों को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य

संशोधन का उद्देश्य एफडीआई (FDI) नीति को और अधिक उदार एवं सरल बनाना ताकि देश में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित की जा सके।

संशोधन से लाभ एफडीआई (FDI) के प्रवाह में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी का आगमन, निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि आदि।

प्रमुख संशोधन

- एकल ब्राण्ड खुदरा व्यापार (Single Brand Retail Trading) में स्वत: मार्ग के जरिए 100% तक एफडीआई (FDI) की अनुमति तो थी पर सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य था।
- निर्माण क्षेत्र के विकास (Construction Development Segment) में स्वत: मार्ग के जरिए 100% तक एफडीआई (FDI)की अनुमति।
- विदेशी विमानन कम्पनियों की मंजूरी लेकर एयर इण्डिया में 49% तक विनिवेश (Disinvestment) की अनुमति।
- फरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स-(FII) फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेसटर्स (FPI) को प्राथमिक बाजार के जरिए पॉवर एक्सचेंजों में निवेश करने की अनुमति।

एफडीआई का अर्थ किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कम्पनी के प्रबन्धन में कुछ हिस्सा मिल जाता है, जिसमें उनका पैसा लगता है।

उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017 (Mining Policy of Uttar Pradesh, 2017)

स्वीकृति 30 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल द्वारा।

नीति का आधार खनन नीति के निर्माण के 7 आधार हैं, जो निम्नवत हैं-

1. पारदर्शिता, 2. कानून का राज, 3. समता, 4. प्रभावशीलता, 5. आम सहमति, 6. उत्तरदायी, 7. भागीदारी।

लक्ष्य उत्तर प्रदेश खनन नीति के उक्त सातों आधारों को केन्द्र में रखते हुए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है-

- खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना।
- सर्व सामान्य के लिए खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- खनिजों के मूल्य को जन साधारण की सामर्थ्य शक्ति के अनुरूप बनाए रखना।
- उपर्युक्त आधारों पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता को बढ़ाना।

खनन नीति के उद्देश्य उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017 के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं:

- सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना।
- खनिजों का संरक्षण करना।
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना।
- खनिजों से प्राप्त राजस्व को राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.85% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना।
- अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण।
- खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।
- खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान सुविधायें तथा परामर्श उपलब्ध कराना।
- खनिज सम्बन्धी सूचना/आँकड़ों की उपलब्धता बढ़ाना।
- इस क्षेत्र में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना।
- तकनीक के माध्यम से नए खनिज भण्डारों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना।
- ई-टेंडरिंग/ई-नीलामी/ई बिडिंग प्रणाली के माध्यम से खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता लाना तथा इसे भ्रष्टाचार मुक्त करना।

जिला खनिज फाउण्डेशन

राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभरहित '**जिला खनिज फाउण्डेशन**' न्यास की स्थापाना की गयी है जो खनन सक्रियता से प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के विकास सम्बन्धी कार्यवाही को अंजाम देगा।

मुख्य खनिज एवं उप-खनिज के पट्टाधारकों से खनिजों के निकासी या देय रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जनपदों में बनाए गये न्यास में जमा किया जायेगा। मुख्य खनिज के संदर्भ में रॉयल्टी का प्रतिशत, जो जिला खनिज फाउण्डेशन में जमा किया जाएगा, का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तथा उपखनिजों के संदर्भ में इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

जिला खनिज फाउण्डेश्न न्यास में जमा राशि का उपयोग '**प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र का कल्याण योजना**' में भी किया जायेगा।

खनिजों के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए तकनीकी व्यय की पूर्ति हेतु खनन पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रॉयल्टी की 1% धनराशि सेस के रूप में वसूल किये जाने का भी प्राविधान है।

तालिका 6.2: उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज व सम्बन्धित जिले

खनिज का नाम	जिले का नाम
कोयला	सोनभद्र (बीना, ककड़ी खड़िया, कृष्णशिला)
चूना-पत्थर (लाइमस्टोन)	सोनभद्र (बिल्ली, मारकुंडी, फजरहत, भलूआ, गुरमा)

उत्तरप्रदेश पर्यटन नीति, 2018 (U.P. Tourism Policy, 2018)

शुभारंभ

फरवरी-2018 उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा।

नोट—उ.प्र. पर्यटन नीति 2018 ने वर्ष 2016 को उ.प्र. पर्यटन नीति का स्थान ग्रहण किया है। यह नीति 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।

विज़न

इस नीति का विजन उत्तरप्रदेश को भारत में पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। साथ ही देश में सर्वाधिक पर्यटक आगमन एवं पर्यटन आय प्राप्त करना, रोजगारों का सृजन करना और सर्वोत्तम पर्यटक अनुभव सुनिश्चित करना है।

लक्ष्य

- वर्ष 2023 तक देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना।
- प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रूपये का लक्षित निवेश प्राप्त करना।
- आगामी 5 वर्षों में निरंतर 15 प्रतिशत घरेलू पर्यटक आगमन एवं 10 प्रतिशत विदेशी पर्यटक आगमन की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना।
- प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लागों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- आगामी पांच वर्षों में दस हजार पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को विरासत होटलों में परिवर्तित करना।
- प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में 1 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना।
- सड़क, रेल एवं वायु के माध्यम से प्रदेश के सभी धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों के क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करना।
- राज्य भर में सार्वजनिक सेवा सुविधाओं के मानक उन्नत करना और पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता अनुभव उपलब्ध कराना।
- दीपोत्सव, अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, गंगा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव आदि जैसे पर्यटन समारोह एवं उत्सवों के कार्यान्वयन के माध्यम से स्थानीय उद्यमिता में सुधार करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उत्तरप्रदेश पर्यटन महानिदेशालय की स्थापना वर्ष 1972 में की गयी थी।
- उत्तरप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हुई थी।
- ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन उत्तरप्रदेश ब्रज नियोजन एवं विकास बोर्ड अधिनियम 2015 के तहत किया गया था।

जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 (National Policy on Biofuels 2018)

स्वीकृति 16 मई, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय मंत्रिमण्डल समिति द्वारा।

उद्देश्य सरकार की नई पहलों-मेक इन इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान व कौशल विकास आदि के सन्दर्भ में इस नई नीति का निर्धारण किया गया है। सरकार का मानना है कि नई जैव ईंधन नीति आयात पर निर्भरता कम करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने, निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ पर्यावरण तथा कचरे से धन सृजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

जैव ईंधन की श्रेणी	श्रेणी में शामिल उत्पाद
पहली पीढ़ी/(1G)/आधारभूत जैव ईंधन (Basic Biofuels)	जैव इथनॉल और जैव डीजल (Bio Diesel)
दूसरी पीढ़ी/(2G)/विकसित जैव ईंधन (Advanced Biofuels)	इथनॉल, निगम के ठोस कचरे (Muncipal Solid Waste) और ड्राप इन ईंधन।
तीसरी पीढ़ी/(3G)/	जैव सीएनजी

- इथनाल उत्पादन के लिए कच्चे माल की दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें निम्नलिखित उत्पादों के प्रयोग को अनुमति दी गयी है:-
  - गन्ने का रस
  - चीनी वाली वस्तुएं जैसे-चुकन्दर, स्वीट, सौरगम।
  - मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे- खराब गेहूँ, टूटा चावल, सड़े हुए आलू आदि।
- इस नीति में जैव डीजल (Bio Diesel) उत्पादन के लिए-गैर खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गैस्टेशन वाली फसलों को प्रोत्साहित किया गया है।
- अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने का खतरा बना रहता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस नीति में 'राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति' की मंजूरी लेकर इथनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनाजों की अतिरिक्त खरीद की जा सकेगी।

तालिका 6.3: प्रमुख वर्षगांठ एवं वर्ष

दिवस	वर्षगांठ	महत्वपूर्ण तथ्य
भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement)	75वीं (2017 में)	• 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध यह आंदोलन इतना व्यापक था कि 5 वर्ष बाद (15 अगस्त 1947) अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा। • इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2017 को **संकल्प पर्व** (Day of Resolve) में मनाया जिसमें भारत को गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और वर्ष 2022 तक इस संकल्प को सिद्धि में रूपान्तरित करने का लक्ष्य रखा।

(Continued)

तालिका 6.3: प्रमुख वर्षगांठ एवं वर्ष *(Continued)*

दिवस	वर्षगांठ	महत्वपूर्ण तथ्य
		• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर न्यू इंडिया मूवमैंट (New India Movement) वर्ष 2017 से 2022 तक चलाने का आवाहन किया। • न्यू इंडिया मूवमैंट (New India Movement) का उद्देश्य वर्ष 2017–22 तक भारत को गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद संप्रदायवाद, जातिवाद और अस्वच्छता से मुक्त करना है।
आजाद हिंद फौज	75वीं (2017 में)	• 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गयी थी, 9 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगायी गयी।
पाइका विद्रोह	200वीं (2017 में)	• 1817 में उड़ीसा में यह विद्रोह अंग्रेजों के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया था। ***नोट***—पाइका ओडिशा के गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था, जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे और शांति काल में कृषि करते थे। • राष्ट्रपति ने 20 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में पाइका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारम्भ किया। • 16 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में पाइका विद्रोह से संबंधित 16 परिवारों के वंशजों को सम्मानित किया।
साबरमती आश्रम	100वीं (2017 में)	• दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचराव क्षेत्र में स्थापित किया। यह आश्रम 17 जून, 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। इस आश्रम को **हरिजन आश्रम** और **सत्याग्रह आश्रम** के नाम से भी जाना जाता है। ***नोट***—17 जून, 2017 को साबरमती आश्रम के 100 वर्ष पूरे होने पर 'लेटर्स टू गाँधी' और 'पायनियर्स और सत्याग्रह' नामक पुस्तकों का विमोचन गाँधी जी के पौत्र, बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गाँधी ने किया।
चंपारन सत्याग्रह	100वीं (2018 में)	• अप्रैल, 2018 में चंपारन सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं।
सर्वे ऑफ इण्डिया	250वीं (2018 में)	• भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है, इसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। यह भारत सरकार के प्राचीनतम अभियांत्रिक विभागों में से एक है। इसकी मातृ संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार है।